राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–/63124 जयपुर दिनांक 24 APR 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरने के क्रम में।
प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 10(6)ग्रावि/नरेगा/जेटीए/2010 दिनांक 07.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन साथ ही कार्यो की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु 550 कनिष्ठ तकनीकी सहायक महात्मा गांधी नरेगा योजना के दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 28.02.2017 तक वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के निर्देशानुसार संविदा पर लिये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

वित्त विभाग की आईडी संख्या 101701712 दिनांक 12.04.2017 के द्वारा 550 कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों को भरने के लिए योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 28.02.2018 तक वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के निर्देशानुसार संविदा पर लिये जाने की सहमति वित्त विभाग द्वारा दी गई है। विभागीय निर्देश दिनांक 07.09.2016 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अतः जिन जिलों द्वारा अभी तक कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों की भर्ती आज दिनांक तक नहीं की गई है वे जिले 15 दिवस में पदों की भर्ती कर इस विभाग को अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय

(देबाशीष पृष्टी)
आयुक्त, ईजीएस
21.4.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस